

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार

वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक-

**विषय** - समस्तीपुर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रु. 73.13 करोड़ (तिहतर करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।

**आदेश :-** स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-971, दिनांक 04.04.2016 के द्वारा राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम (2015-2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कुल रु. 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रुपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राज्य सरकार ने उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत समस्तीपुर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-153, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा उपलब्ध तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलित राशि के आधार पर संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए कुल रु. 73.13 करोड़ (तिहतर करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृति राशि का वहन, योजना बजट के "मुख्यशीर्ष - 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष- 105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, मांग संख्या-3, उपशीर्ष- 0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) के अधीन मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा, जिसका विपत्र कोड 03-4202021050105 है।

4. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, समस्तीपुर को प्रदान किया जायेगा।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/ विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर होंगे।

6. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, समस्तीपुर से की जायेगी।

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. संस्थान की स्थापना, दिनांक 06.08.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-17 पर लिए गये निर्णयानुसार, निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरित समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल-सरायरंजन, मौजा-रामनगर नरघोधी, थाना नं.-289, खाता नं.-211, खेसरा नं.-236 एवं 237, रकबा क्रमशः 2.5 एकड़ एवं 7.10 एकड़ अर्थात् कुल रकबा 9.60 एकड़ (नौ एकड़ साठ डिसमिल) अर्जित अधिशेष भूमि (बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम, 1961 की धारा-15(1) के तहत अधिशेष घोषित अर्जित भूमि) पर, की जायेगी।

9. यह आदेश दिनांक 19.02.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-08 पर लिए गये निर्णय के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्रावधानानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना  
/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) यो.- 38/2016-

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) यो.- 38/2016-

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) यो.- 38/2016-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव/मुख्य वास्तुविद/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) यो.- 38/2016-

प्रतिलिपि - आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) यो.- 38/2016-

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - वि. प्रा.(III) यो.- 38/2016-

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक/संयुक्त निदेशक (वि.)/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (क.)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव